

शुभ्रा पत्रावली कायदा 1925 का 11/9/18 को

बहुम

0.5.19

1/1/18

1/1/18

1/1/18

11. आज यह पत्रावली वादी व प्रतिवादीगण के उपर डोकटा लहमलि देने के कारणों से ली गई। प्रतिवादीगण + ताप का लोह ने आरिष वकील पारिवारिक लममौता नामा दिनांक 10/5/18 से कोई एलराज व्यक्त करी किया व लिखित लहमलि प्रदान की। वादी के अधिवक्ता ने भी पारिवारिक लममौता दिनांक 10/5/18 व पूर्णतया लहमलि प्रदान की। अतः परकापण डाय अरिष वकील लहमलि अनुसा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सुलाबिक पारिवारिक लममौता अनुसा प्रतिवादीगण सं-5 को कविध दिदे जाते हैं पारिवारिक लममौता निर्णय का भाग रहेगा। डिडी पचा मुलिब है। पत्रावली नियमानुसार कैमल शुमाट डेका दखिल पन्तर है।



उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़